राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010पार्ट–I/00544 जयपुर, दिनांक : 15 JUN 2021

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2020 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के सृजित पदों पर कार्यरत प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पदों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.02.2021 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के 9146 तथा संविदा के 7095 कार्यरत पदों की समयावधि वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 28.02.2022 तक बढाये जाने की सहमति पूर्व में दी गयी निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
2. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. संविदा की नियुक्ति/Deployment जॉब बेसिस पर आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी संख्या 332100390 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के दिनांक 28.02.2021 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि दिनांक 28.02.2022 तक बढाये जाने की कार्यवाही की जावे।

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग-1) विभाग, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
8. अति.आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस।
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
10. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

15.6.21

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस